तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम ... तामील
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 23-2-18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28-3-18 नियत की जाती है। [initials]	
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 28-3-18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11-5-18 नियत की जाती है। [initials]	
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 11-5-18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8-6-18 नियत की जाती है। [initials]	
8-6-18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के अंतर्गत अटल सेवा केन्द्र [illegible] लोकअदालत केम्प कोर्ट में पेश हुई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षकरान ने मौखिक रूप से पुनः अपना-अपना पक्ष रखा। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी अनुसार उसके पिता श्री भूरया की खातेदारी भूमि [illegible] जो कि ग्राम [illegible] में स्थित थी जिसकी वो विधिक वारिस है परन्तु उसके पिता की मृत्यु उपरान्त दर्ज किये गये नामान्तरकरण सं० 216 में स्व० श्री भूरया जी के एक पुत्र और मानते हुए विरासत का नामान्तरण अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट सं० 1 के नाम हिस्सा बराबर का दर्ज कर निर्णित कर दिया गया जो कि गलत है। वास्तव में कन्हैया, भूरया के पुत्र न होकर सांवल्या के पुत्र है। श्री कन्हैया के सांवल्या के पुत्र होने के संबंध में ग्राम रामड़ी के खाता सं० 14 की संवत 2070-73 की जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की।	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 अनुसार ग्राम तेन्दू स्थित स्व० भूरया की खातेदारी भूमि में विरासत का नामान्तरकरण सं 216 दर्ज कर निर्णित किया गया इस नामान्तरकरण अनुसार स्व० भूरया की खातेदारी भूमि कन्हैया पुत्र भूरया एवं धोली पुत्री भूरया हि० बराबर दर्ज रिकॉर्ड हो गया। तत्पश्चात श्रीमती धोली पुत्री भूरया द्वारा 7.1.16 को एक हकत्यागपत्र श्री कन्हैया पुत्र भूरया के पक्ष में पंजीकृत करवाया जिसमें रेस्पोडेन्ट सं० 1 को अपना भाई मानते हुए स्व० पिता की खातेदारी भूमि में अपीलार्थी के हिस्से का हकत्याग किया जाना अंकित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं पक्षकारान के मौखिक कथन पर मनन करने पर पाया की अपीलार्थी ने अपने पिता की मृत्यु पश्चात उनकी विरासत में प्राप्त ग्राम तेन्दू स्थित खातेदारी भूमि में से अपना हक रेस्पोडेन्ट सं० 1 श्री कन्हैयालाल के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र के माध्यम से त्याग किया एवं हकत्यागपत्र की इबारत में स्वयं एवं रेस्पोडेन्ट सं० 1 को पिता की मृत्यु बाद वारिस स्वीकारा एवं रेस्पोडेन्ट सं० 1 को स्वयं का भाई स्वीकारा है ऐसे में अपील में अपीलार्थी का यह कथन की कन्हैयालाल उसका भाई या भूरया का पुत्र नहीं है मिथ्या प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज न० से कम हो। उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा	

Scanned by CamScanner